MAHARSHI DAYANAND SARASWATI UNIVERSITY, AJMER

No. F.14 (24) Acad. II/ M.D.S.U./2018/ 486)

REGISTERED

The Principal, Apex College, Noorpura Bye Pass, Makarana (Nagaur)- 341505.

Grant of Fresh Affiliation in Four Year Integrated B.A. B.Ed. and B.Sc. Subject:-

B.Ed. Courses for the session 2017-2018.

Your application and Inspection Report. Ref.:-

Dear Sir/Madam,

This is in reference to your application and Inspection Report on the subject cited above, in this connection this to inform you that on the basis of Inspection Report and recommendation of the Affiliation Committee, the Hon'ble Vice-Chancellor has been pleased to grant. Fresh Provisional Affiliation to your College in Four Year Integrated B.A. B.Ed. Course (with 50 Seats-One Unit) and B.Sc. B.Ed. Course (with 50 Seats-One Unit) as per N.C.T.E. norms for the Session 2017-2018, subject to fulfillment of the conditions as mentioned below:-

"To follow and observe the University Act, Statutes, Ordinances, Regulations, Rules and Instructions framed, amended, adopted and issued from time to time in General and 1.

Admissions of students in the B.A. B.Ed. Course and B.Sc. B.Ed. Course will have to be specifically relating to: (a)

To follow curricula/Courses of study as prescribed by the University from time to time including scheme of examinations and conduct of examinations. (b)

Appointment of Teaching/Sports/PTI/Library Staff."

All the conditions as prescribed by the State Govt. in the N.O.C. No. F.24(NOC 17-18) / (c) B.A. B.Ed./B.Sc.B.Ed./Akashi/17/340 dated 25-05-2017 and NCTE recognition letter No. (i) 2. NRC/ NCTE/NRCAPP-201615227/Recognition/174270 dated 2-05-2017 will have to be followed and compliance report of fulfillment of all conditions will be submitted within

Staff: Appointment of permanent and qualified Principal and teaching staff on the fulltime basis selected by a duly constituted Committee as per the norms of NCTE/State (ii)

Govt./UGC before the commencement of the session.

That the reserve fund for an amount equal to three months salary of the Teachers and Staff be created within one year from the date of issue of this order and maintained in (iii) the form of FDR in favour of the management/institution, for a period of not less than sixty months (Five Years) in a Nationalized Bank.

Building: Construction of sufficient building as per guidelines of the NCTE/University (iv)

provisions, play grounds and hostel building.

Library: Year wise development of college Library and provision of funds for journals (v) and magazines be made.

Faculty Members: Appointments of faculties as per norms of NCTE should be made. (ví)

To make compliance and fulfillment of the conditions laid down in your affiliation letter (vii) and submit it within two months from the date of issue of this letter.

To provide the information as asked for by the University from time to time including 3. Statistics etc.

To follow strictly rules and regulations and amendments governed by the University & NCTE 4. from time to time.

महाविद्यालय सत्र 2017-2018 में चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बी.ए. बी.एड.एवं बी.एससी. बी.एड. पाठ्यक्रमों की नवीन 5. अस्थायी सम्बद्धता हेतु जारी पत्र की दिनांक से दो माह में उक्त पत्र में अंकित शर्तों की बिन्द्वार अनुपालना रिपोर्ट विश्वविद्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

6. महाविद्यालय को सत्र 2017-2018 में चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बी.ए.बी.एड. पाठ्यक्रम में (50 सीट-एक यूनिट) व बी.एससी. बी.एड. पाठ्यक्रम में (50 सीट-एक यूनिट) की नवीन अस्थायी सम्बद्धता विश्वविद्यालय पत्रांक 4397 दिनांक 8.03.2017 के क्रम में विश्वविद्यालय रसीद सं. 0004097 दिनांक 13.03.2018 के द्वारा आर्थिक दण्ड रू 50,000 / — विश्वविद्यालय कोष में जमा कराये जाने के पश्चात् इस आधार पर प्रदान की गई है कि महाविद्यालय 60 दिवस में निम्नानुसार कमियों की पूर्ति कर प्रमाणिक दस्तावेज विश्वविद्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा विश्वविद्यालय अध्यादेश ७०-ए के प्रावधानानुसार आर्थिक दण्ड देय होगाः

महाविद्यालय में सत्र 2017—2018 में उक्त पाठ्यक्रमों हेतु नियुक्त प्राचार्य डॉ० अरूण कुमार राजोरिया की वर्ष 2013 की पी.एचडी. उपाधि के सम्बन्ध में यूजीसी रेग्यूलेशन 2009 के अनुसार पी.एचडी. work completion प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। इसके पश्चात् ही प्राचार्य को निर्धारित योग्यताधारी मान्य किया

महाविद्यालय में सत्र 2017-2018 में उक्त पाठ्यक्रमों हेतु नियुक्त शिक्षकों में से 01 शिक्षक योगेश उपाध्याय के अतिरिक्त शेष 14 शिक्षक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (विनियम मानदण्ड तथा क्रियाविधि) (संशोधन) विनियम, 2017 के प्रावधानानुसार नेट/सेट नहीं होने के आधार पर निर्धारित योग्यताधारी नहीं है। निर्धारित योग्यताघारी शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना सुनिश्चित करें।

महाविद्यालय द्वारा सत्र 2017–2018 में उक्त पाठ्यक्रमों हेतु प्रशासनिक एवं वृत्तिक स्टाफ यथा कम्प्यूटर प्रयोगशाला सहायक, कार्यालय प्रबन्धक, कार्यालय सहायक सह डाटा इंट्री ऑपरेटर, पाठ्यचर्या प्रयोगशाला समन्वयक, लेखा सहायक एवं सहायक / प्रयोगशाला सहायक नियुक्त नहीं दर्शाये गये हैं। नियुक्ति अनिवार्य

महाविद्यालय विश्वविद्यालय नियमानुसार कुलसचिव, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर एवं महाविद्यालय के संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त व संयुक्त खाते की अक्षय निधि कोष की एफडीआर की सत्यापित प्रति विश्वविद्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

महाविद्यालय सत्र 2017—2018 में उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों की यूजीसी/राज्य

सरकार / विश्वविद्यालय नियमानुसार कालांश व उपस्थिति की अनिवार्यता सुनिश्चित करें।

It may be noted that the application for extension in provisional affiliation/ fresh/permanent affiliation (as the case may be) for the session 2018-2019 along with the copy of original Receipt & detailed fee statement, after depositing prescribed fee by Demand Draft in the University (failing which the application form shall be treated as cancelled or otherwise in the case of part submission of the necessary fee the part payment so made shall be forfeited and the said application form shall be rejected) together with a report about the fulfillment of the conditions of the affiliation up to 31st December, 2017. If already deposited, need not to deposit.

REGISTRAR



# MAHARSHI DAYANAND SARASWATI UNIVERSITY, AJMER

No. F.14( )Acad.II/MDSU/2023/

Dated:-

The Principal, Apex College, Makarana,

Nagaur. (Rajasthan) 341505

Sub.:- Extension in provisional affiliation for the session 2018-19 to 2021-22.

Dear sir.

With reference to your application for the purpose mentioned in the subject cited above. I am directed to inform you that on the recommendation of the Affiliation Committee, the Hon'ble Vice-Chancellor has been pleased to grant extension in provisional affiliation to your college in the course mentioned below for the academic session along with the seats as mentioned against the said course subject to fulfillment of the conditions mentioned below and overleaf during the session the aforesaid period.

Course	Session	Seats
B.A. B.Ed.	2018-19 to 2021-22	50
B.Sc. B.Ed.	2018-19 to 2021-22	50

महाविद्यालय को सत्र 2018-19 से 2021-22 तक में 04 वर्षीय बी.ए. बी.एड. / बी.एससी. बी.एड. पाठ्यक्रम की उपरोक्त अंकित सीटों की अस्थाई सम्बद्धता वृद्धि विश्वविद्यालय पत्रांक 12965 दिनांक 03.06.2023 के क्रम में विश्वविद्यालय रसीद सं. 0000322 दिनांक 10.07.2023 के द्वारा आर्थिक दण्ड राशि रू. 2,00,000 / - एवं जीएसटी राशि 36,000 / - सकल राशि मय जीएसटी 2,36,000 / - (अक्षरे क. दो लाख छत्तीस हजार ) मात्र विश्वविद्यालय कोष में जमा कराए जाने के पश्चात् निम्न शर्तों के आघार पर प्रदान की गई है, कि महाविद्यालय को 60 दिवस में निम्नानुसार किमयों की पूर्ति कर प्रमाणिक दस्तावेज विश्वविद्यालय को भिजवाना अनिवार्य है, अन्यथा सत्र 2022-23 में प्रवेश पर रोक रहेगी:-

### सत्र 2018-19:-

उक्त पाठयक्रम हेत् नियुक्त शिक्षकों का राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद के मानदण्ड एवं क्रियाविधि 2017(संशोधन) के अनुसार नेट / सेट उत्तीर्ण नहीं होने के कारण योग्यताधारी नहीं ह । योग्यताधारी

शिक्षकों की नियक्ति करना सुनिश्चित करें।

महाविद्यालय संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग राज0 सरकार, जयपुर द्वारा जारी पत्रांक प.31 2. (1)शिक्षा-4/2016 दिनांक 17.04.18 के क्रम में महाविद्यालय परिसर में बी.एड. महाविद्यालय के अतिरिक्त अन्य संस्था / महाविद्यालय संचालित नहीं किये जाने बावत् महाविद्यालय भूमि का खसरा नम्बर अंकित करते हुये रू. 100/- के नाम ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा सत्यापित विश्वविद्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

महाविद्यालय सत्र 2018-19 में उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों के नियमानुसार कालांश व

उपस्थिति की अनिवार्यता सुनिश्चित करें ।

उक्त पाठ्यक्रम हेतु नियुक्त शिक्षक श्री विष्णु कुमार जांगीड के अलावा कोई अन्य शिक्ष्क राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद के मानदण्ड एवं क्रियाविधि 2017(संशोधन) के अनुसार नेट/सेट उत्तीर्ण नहीं होने के कारण योग्यताधारी नहीं है । योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति करना सुनिश्चित करें।

महाविद्यालय संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग राज0 सरकार, जयपुर द्वारा जारी पत्रांक प.31 2. (1)शिक्षा-4/2016 दिनांक 17.04.18 के क्रम में महाविद्यालय परिसर में बी.एड. महाविद्यालय के अतिरिक्त अन्य संस्था / महाविद्यालय संचालित नहीं किये जाने बाबत् महाविद्यालय भूमि का खसरा नम्बर अंकित करते हुये रू. 100/- के नाम ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा सत्यापित विश्वविद्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।

महाविद्यालय सत्र 2019-20 में उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों के नियमानुसार कालांश व 3.

उपस्थिति की अनिवार्यता सुनिश्चित करें।

### सत्र 2020-21:-

उक्त पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु समाजशास्त्र विषय में 01 शिक्षक नियुक्त नहीं किया गया है, इसकी नियुक्ति किया जाना सुनिश्चित करें।

महाविद्यालय संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग राज0 सरकार, जयपुर द्वारा जारी पत्रांक प.31 (1)शिक्षा—4/2016 दिनांक 17.04.18 के क्रम में महाविद्यालय परिसर में बी.एड. महाविद्यालय के अतिरिक्त अन्य संस्था/महाविद्यालय संचालित नहीं किये जाने बाबत् महाविद्यालय भूमि का खसरा नम्बर अंकित करते हुये रू. 100/- के नाम ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा सत्यापित विश्वविद्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। 3.

महाविद्यालय सत्र 2020–21 में उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों के नियमानुसार कालांश व

उपस्थिति की अनिवार्यता सुनिश्चित करें ।

### सत्र 2021-22:-

उक्त पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु समाजशास्त्र विषय में 01 शिक्षक नियुक्त नहीं किया गया है, इसकी

नियुक्ति किया जाना सुनिश्चित करें।

महाविद्यालय संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग राज0 सरकार, जयपुर द्वारा जारी पत्रांक प.31 2. (1)शिक्षा-4/2016 दिनांक 17.04.18 के क्रम में महाविद्यालय परिसर में बी.एड. महाविद्यालय के अतिरिक्त अन्य संस्था / महाविद्यालय संचालित नहीं किये जाने बाबत् महाविद्यालय भूमि का खसरा नम्बर अंकित करते हुये रू. 100/- के नाम ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा सत्यापित विश्वविद्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।

महाविद्यालय सत्र 2021–22 में उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों के नियमानुसार कालांश व

उपस्थिति की अनिवार्यता सुनिश्चित करें।

The application for the extension in provisional affiliation for the session 2022-23 along with required fee may be sent together with a report about the fulfillment of the conditions of the provisional affiliation up to 31st Dec. 2021. If already deposited, need not to deposit.

Yours faithfully,

Dy. Registrar (Acad-II)

# No. F.14(178)Acad.II/MDSU/2023/ 295-310

Dated:- 5-1-24

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Commissioner, College Education, Rajasthan, Jaipur,

2. The Regional Director, N.C.T.E., 4th Floor, Jeevan Nidhi-II, LIC Building, Ambedkar Circle, Bhawani Singh Marg, Jaipur - 302005.

The Joint Secretary, Higher Education (Gr.1V) Deptt., Government of Rajasthan, Jaipur. 3.

The Director Secondary Education, Rajasthan, Bikaner 4.

The C.O.F./C.E., M.D.S. University, Ajmer. C.E. to please ensure that forms of only 5. allotted seats may be accepted.

Dr. Neeraj Bhargava, Professor and Web Administrator, MDS University, Ajmer - with 6. the request to please include the aforesaid college on the University Website.

The Secretary, Sports Board, MDS University, Ajmer. 7.

The Dy. Registrar/S.O.(Exam. Professional)/ Secretary, M.D.S. University, Ajmer. 8.

9. The ACP, MDS University, Ajmer.

P.S. to V.C./P.A. to Registrar, M.D.S. University Ajmer. 10.

Section Officer (Acad.II)



# महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

कमांक:एफ.14( )शेक्ष.।।/मदसविवि/2025/11539

दिनांकः 04.04.2025

## प्रमाण-पत्र

महाविद्यालय पत्रांक 5164 दिनांक 01.04.2025 के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि अपैक्स कॉलेज, मकराना, जिला— नागौर, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर से अस्थाई सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय है। महाविद्यालय में संचालित बी.ए. बी.एड़/बी.एससी. बी.एड़. पाठ्यकमों की सत्र 2022—23 से 2024—25 तक अस्थाई सम्बद्धता वृद्धि की कार्यवाही प्रकियाधीन है। कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात ही अस्थाई सम्बद्धता वृद्धि का पत्र जारी किया जाना संभव होगा।





Excellence in Education

A Post Graduation Co-Educational Institute Accredited by NAAC and Certified by ISO Affiliated to Maharshi Dayanand Saraswati University, Ajmer Recognized by the Government of Rajasthan

Ac 181 05td 2022 3061 Ref. No. सेवा में

श्रीमान उप कुलसचिव (शैक्षणिक द्वितीय)

महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

विषय:- सत्र 2022-23 की अस्थायी संबद्धता वृद्धि बाबत।

महोदय.

संलग्न:-

उपरोक्त विषयानुसार लेख है कि महाविद्यालय द्वारा संचालित बी.ए.बी.एड. व बी.एससी. बी.एड. पाठ्यक्रम की सत्र 2022-23 में अस्थायी संबद्धता वृद्धि हेतु सशुल्क जरिये डिमांड ड्राफ्ट \*\*\*REGISTRAR, MDS UNIVERSITY, AJMER\*\*\* के पक्ष में (क्रमांक संख्या 000715 दिनांक 30 दिसंबर 2022) तैयार कर आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है।

अत : महोदय से अनुरोध है कि उक्त दस्तावेज को स्वीकार करने की कृपा करे।

- 1. डिमांड ड्राफ्ट (राशी 1,00,000/- क्रमांक संख्या 000715 दिनांक 30 दिसंबर 2022)
- 2. अस्थायी संबद्धता वृद्धि हेतु आवेदन पत्र
- 3. एनसीटीई द्वारा जारी मान्यता की प्रति।





# Excellence in Education

A Post Graduation Co-Educational Institute
Accredited by NAAC and Certified by ISO
Affiliated to Maharshi Dayanand Saraswati University, Ajmer
Recognized by the Government of Rajasthan

Ref. No.

AC/121/Affiliation/2022/1381

Date: \_\_\_\_\_

सेवा में

श्रीमान उपकुलसचिव (शैक्षणिक द्वितीय) महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर (राज.)

विषय :- सत्र 2023-2024 हेतु अस्थायी सम्बंधता वृद्धि बाबत । महोदय,

उक्त विषयानुसार निवेदन है कि महाविद्यालय द्वारा सत्र 2023-2024 की अस्थायी संबंधता वृद्धि हेतु सशुल्क (One Lac Rupess only 1,00,000/-) जरिये डिमांड ड्राफ्ट \*\*\*REGISTRAR, MAHARSHI DAYANAND SARASWATI UNIVERSITY, AJMER\*\*\* के पक्ष में तैयार कर (क्रमांक संख्या 000913 दिनांक 07 दिसंबर 2022) आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है।

अत : महोदय से विनम्र निवेदन है कि महाविद्यालय के दस्तावेज स्वीकार कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

नोट :- संचालित पाठ्यक्रम का विवरण वृद्धि बाबत प्रस्तुत किये जा रहे आवेदन पत्र में उपलब्ध है। संलग्न :-

- 1. Demand Draft Rs. 1,00,000/- (Sr. No. 000913 Date 07-12-22)
- 2. Recognitation Letter from NCTE, New Delhi
- 3. Affiliation Form for extension of affiliation



प्रिं<mark>शिय</mark>ल अपेक्स कॉलेज

C Ph.: 01588-242963, 964, 965

E-mail: apexcollege14@gmail.com



### Excellence in Education

# A Post Graduation Co-Educational Institute Accredited by NAAC and Certified by ISO

Affiliated to Maharshi Dayanand Saraswati University, Ajmer Recognized by the Government of Rajasthan

10 yaluas

Ref. No. AC 121 3512

सेवा में

श्रीमान उप कुलसचिव (शैक्षणिक द्वितीय) महर्षि दयानन्द सरस्वती विधविद्यालय अजमेर (राज.)

विषय :- सत्र 2024-25 की अस्थायी संबद्धता वृद्धि हेतु राशुल्क आवेदन जमा करवाने बाबत। महोदय.

उक्त विषयानुसार निवेदन है महाविद्यालय द्वारा रांचालित निम्न पाठ्यक्रम की सत्र 2024-25 हेतु अस्थायी संबद्धता वृद्धि बाबत संबद्धता शुल्क 18% जीएसटी सहित जरिये डिगांड ड्राफ्ट "रजिस्ट्रार, एम.डी.एस. यूनिवर्सिटी, अजमेर" के पक्ष में तैयार कर पत्र के साथ संलग्न कर आपके समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम		रांबद्धता शुल्क		
1.	बी.ए.बी.एड. चार वर्षीय इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम		50,000/-		
2.	बी.एससी. बी.एड. चार वर्षीय इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम		50,C30/-	30/-	
	कुल जगा करवाई जा रही राशि		1,03,700/- 18% GET (18,000/-)		
डिमांड ड्राफ्ट का विवरण					
डिमांड ड्राफ्ट संख्या		<b>डिगां</b> ड ड्राफ्ट दिनांक		दिगांड ड्राफ्ट राशि	
001089		13 दिसंबर 202	3	1,18,000/-	

महोदय से निवेदन है कि सत्र 2024-25 हेतु अस्थायी संबद्धता वृद्धि बाबत प्रस्तुत संशुल्क आवेदन को स्वीकार कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

## संलग्न :-

- 1. Affiliation Extension Form for A.Y. 2024-25
- 2. डिमांड ड्राफ्ट रू 1,18,000/- (क्र.सं. 001000 दिनांक 13 दिखं र 2023)
- NCTE Approval Letter

ok

# APEX COLLEGE, MAKRANA

Noorpura, By pass road, Makrana Distt. Didwana Kuchaman (Raj.)-341505

Affiliated to Maharshi Dayanand Saraswati University, Ajmer

Accredited B++ by NAAC, Bangalore & I/u section 2(f) of UGC Act 1956

Recognized by National Council for Teachers Education, New Delhi

Email ID: - apexcollege14@gmail.com

Website: - https://www.apexpgcollege.in

Ref. No. :- AC/121/2024/5140

Date:- 31st December 2024

सेवा में

श्रीमान उपकुलसचिव (शैक्षणिक द्वितीय)

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय

अजमेर

विषय :- सत्र 2025-26 हेतु अस्थायी संबद्धता वृद्धि हेतु संबद्धता शुल्क जमा करवाने बाबत । महोदय,

उक्त विषयानुसार निवेदन है कि महाविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम एम.एससी.(फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स) में सत्र 2025-26 हेतु अस्थायी संबद्धता वृद्धि हेतु संबद्धता शुल्क जिरये डिमांड ड्राफ्ट राशि 2,36,000/- (क्रमांक संख्या 001194 दिनांक 30 दिसंबर 2024) "रिजिस्ट्रार, एमडीएस यूनिवर्सिटी, अजमेर" के पक्ष में तैयार कर आपके समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

नोट :- उक्त पांच पी.जी. पाठ्यक्रम एम.एससी.(फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स) हेतु संबद्धता शुल्क 2,00,000/- व संबद्धता शुल्क पर 18% जीएसटी 36,000/- कुल राशि 2,36,000/- महाविद्यालय द्वारा डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय को भुगतान की जा रही है।

### संलग्न:-

- 1. डिमांड ड्राफ्ट राशि 2,36,000/- (क्रमांक संख्या 001194 दिनांक 30 दिसंबर 2024)
- 2. NOC for M.Sc. Programs by Dir. College Education Rajasthan, Jaipur
- 3. Affiliation Form for extension of A.Y. 2025-26 Affiliation

